

नेपाल गजेट

भाग ४

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं वैशाख २४ गते २०१४ साल

स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्रालयको सूचना

४५८

१६११/०१४

निजामती सेवा नियमावली २०१३ को अनुसूचि एक १ को नं. (३२) बमोजिम सरकारले पञ्चायत गोश्वाराका डाइरेक्टरलाई उक्त नियमावलीको अनुसूचि १ मा समावेश गरेको छ ।

आज्ञाले—

केशरबहादुर,

सिक्नेटरी—स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्रालय,

(१)

उच्च न्यायालय

४ भाग

न्यायालय अधिनियम

भाग ४१२९ चि ४९ चार्ज ऑफिस

न्यायालय अधिनियम

४१०१/१८९

१९४

(१६) के कि : यह अधिनियम १९०९ विभागों की लक्ष्य निम्नलिखित
- न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत
- न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत

न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत
न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत
न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत न्यायालयों के अधिकारों के अन्तर्गत

(१)